व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार इन्हें ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है। श्री देवपाल सिंह को सहायक अभियन्ता के पद पर उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 से वरिष्ठता दी गयी है, जो कि नियम संगत है। तदनुसार श्री देवपाल सिंह का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(21) श्री राजीव भटनागर, सहायक अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4714 /9–3–12–75डब्लू/12 दिनांक 18–12–12 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कार्यरत अभियन्ताओं के मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रमोशन की तिथि दर्शायी गई है जबकि डिप्लोमा होल्डर की वास्तविक मौलिक पद अवर अभियन्ता तथा नियुक्ति भी अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के समादर में नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। अवर अभियन्ता के मूल पद से प्रोन्नत हुये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अवर अभियन्ता के पद को मौलिक पद मानते हुये निर्धारित की जानी चाहिए थी, क्योंकि अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49 एवं क्रमांक–87 से 92 व क्रमांक– 109 में कार्यरत सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, जो डिप्लोमा होल्डर है, को आरक्षण का लाभ लेते हुये अपने मूल पद अवर अभियन्ता से ही सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुये हैं। उनकी मौलिक नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 01.12.1981 को हुई थी जबकि उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49, क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1986 या उसके बाद अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अनंतिम वरिष्ठता सूची में मौलिक पद/नियुक्ति तिथि के अनुसार उनसे कनिष्ठ अभियन्ता उनके नाम के नीचे होने चाहिए, जो वरिष्ठता

सूची में नहीं है। अतः डिप्लोमा होल्डर अभियन्ताओं को उनके मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने तथा उनका नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक–39 से 49, क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री राजीव भटनागर द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–12 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 05 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 16–11–1997 तक ही अनुमन्य की गयी थी। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद आरक्षण का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियॉ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि क्रमांक–39 से क्रमांक–49 तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार इन्हें ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है। श्री राजीव भटनागर को सहायक अभियन्ता के पद पर उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 से वरिष्ठता दी गयी है, जो कि नियम संगत है। तदनुसार श्री राजीव भटनागर का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(22) श्री सुनील कुमार सिंघल, सहायक अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2012 व 26.12.12 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4714 /9–3–12–75डब्लू/12 दिनांक 18–12–12 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कार्यरत अभियन्ताओं के मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रमोशन की तिथि दर्शायी गई है जबकि डिप्लोमा होल्डर की वास्तविक मौलिक पद अवर अभियन्ता तथा नियुक्ति भी अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के समादर में नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 **पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन)**

नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। अवर अभियन्ता के मूल पद से प्रोन्नत हुये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अवर अभियन्ता के पद को मौलिक पद मानते हुये निर्धारित की जानी चाहिए थी, क्योंकि अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49 एवं क्रमांक–85 से 92 व क्रमांक– 108 व 109 में कार्यरत सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता विभिन्न आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुये अपने मूल पद अवर अभियन्ता से प्रोन्नत किये गये हैं। जबकि उक्त अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण उनके पोषक संवर्ग अर्थात् प्रथम नियुक्ति तिथि/मौलिक पद से किया जाना चाहिए था। उनकी मौलिक नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 23.10.1982 को हुई थी तथा उनका नाम उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक–118 पर दर्शाया गया है। जबकि क्रमांक 39 से 49, क्रमांक–85 से 92 एवं क्रमांक–108व 109 के अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1996 या उसके बाद अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अनंतिम वरिष्ठता सूची में मौलिक पद/नियुक्ति तिथि के अनुसार उनसे कनिष्ठ अभियन्ता उनके नाम के नीचे होने चाहिए, जो वरिष्ठता सूची में नहीं है। अतः उनका नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक–39 से 49, क्रमांक–85 से 92 एवं क्रमांक–108 व 109 पर दर्शाये गये अभियन्ताओं के ऊपर बी0टेक तकनीकी योग्यता दर्शाते हुए रखे जाने तथा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8(3) में निहित चक्रानुक्रम सिद्धान्त का पालन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री सुनील कुमार सिंघल द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–12 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 05 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 16–11–1997 तक ही अनुमन्य की गयी थी। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद आरक्षण का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियॉ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि क्रमांक–39 से क्रमांक–49 तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी

तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार इन्हें ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। क्रमांक–85, 86 एवं क्रमांक–108 पर अंकित व्यक्तियों को सेवा नियमावली में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत डिग्री कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि से ज्येष्ठता अवधारित की गयी है। श्री सुनील कुमार सिंघल को सहायक अभियन्ता के पद पर उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 से वरिष्ठता दी गयी है, जो कि नियम संगत है। श्री सिंघल द्वारा अपनी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रस्तुत बी0टेक प्रमाण–पत्र के आधार पर तदनुसार शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा के स्थान पर बी0टेक अंकित करते हुए, श्री सुनील कुमार सिंघल का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(23) श्री सीताराम साहू, सहायक अभियन्ता(जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2012 में मुख्य रूप से यह अनुरोध किया गया है कि स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रकाशित अवर अभियन्ता (जल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03.01.2008 में उनका नाम क्रमांक–64 पर अवधारित है तथा उनकी अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि 09.10.1979 है। उन्हें स्थानीय निकाय निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 01–03–2000 द्वारा जल संस्थान झांसी की जैतपुर ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना(जनपद हमीरपुर) के कार्यकाल में बरती गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 08–03–2006 द्वारा उन्हे उक्त विभागीय कार्यवाही में भर्त्सना सहित प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी। उक्त दण्डादेश दिनांक 08–03–2006 के विरूद्ध उनके द्वारा अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम–11 के अन्तर्गत शासन को अपील दिनांक 26–05–2006 को प्रस्तुत की गयी किन्तु शासन द्वारा उक्त अपील पर निर्णय नही लिया जा सका। फलस्वरूप उनके द्वारा मा0 राज्य सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका सं0–1128/2009 योजित की गयी जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18–01–2010 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए दण्डादेश दिनांक 08–03–2006 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया। अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 20–01–2010 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उनके द्वारा मा0 अधिकरण के अन्तरिम आदेश दिनांक 18–01–2010 के साथ अपना प्रत्यावेदन दिनांक 25–01–10 प्रस्तुत किया गया। परन्तु विभागीय चयन समिति की दिनांक 20–01–10 को सम्पन्न बैठक के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–02–10 द्वारा 13 अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। जिसमें सामान्य वर्ग/डिप्लोमा धारी श्रेणी में 11 अवर अभियन्ता सम्मिलित थे। अवर अभियन्ता (जल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03–01–08 के अनुसार उसमें से 05 सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अभियन्ता उनसे कनिष्ठ थे। अर्थात शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–02–10 द्वारा उनसे कनिष्ठ श्री विजय प्रकाश सिंघल, श्री इबार्दुरहमान, श्री कमलेश कुमार कुशवाहा, श्री रामकेर **सिंह एवं श्री कृष्णकांत तिवारी को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। जबकि उन्हें शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12–09–12 द्वारा** सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी।

श्री सीताराम साहू द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका सं0–1128/2009 में मा0 अधिकरण का अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 29–11–12 को पारित हुआ, जिसमें निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 08–03–06 को समस्त पारिणामिक लाभों सहित निरस्त कर दिया गया है तथा आदेशों का अनुपालन 03 माह में किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–12–12 द्वारा प्रकाशित सहायक अभियन्ता संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम कमांक–114 पर अवस्थित है। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–02–10 द्वारा उनसे कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसमें उनका नाम इस कारण से सम्मिलित नही किया गया था कि उनके विरूद्ध स्थानीय निकाय निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–03–06 द्वारा भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी। जबकि उक्त दण्डादेश को मा0 अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 18–01–10 द्वारा अग्रिम आदेशों तक आस्थगित कर दिया गया था और पुनः मा0 अधिकरण के अंतिम आदेश दिनांक 29–11–12 द्वारा समस्त परिणामी लाभों सहित, उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 08–03–06 को निरस्त कर दिया गया है। जिसका अनुपालन 03 माह में किया जाना है। अतः श्री सीताराम साहू द्वारा अपने से आसन्न कनिष्ठ श्री विजय प्रकाश सिंघल की शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–02–10 द्वारा दी गयी प्रोन्नति की तिथि से समस्त पारिणामिक लाभों सहित नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने और तदनुसार सहायक अभियन्ता संवर्ग की अनंतिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम श्री विजय प्रकाश सिंघल के ऊपर तथा श्री राकेश उपाध्याय के नीचे निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री सीताराम साहू द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी मौलिक नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 09.10.1979 को हुई थी तथा उनका नाम उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के कमांक–114 पर दर्शाया गया है। जबकि कमांक 39 से 49, कमांक–87 से 92 एवं कमांक–109 के अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1986 या उसके बाद अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अनंतिम वरिष्ठता सूची में मौलिक पद/नियुक्ति तिथि के अनुसार उनसे कनिष्ठ अभियन्ता उनके नाम के नीचे होने चाहिए, जो वरिष्ठता सूची में नहीं है। अतः उनका नाम वरिष्ठता सूची में कमांक–39 से 49, कमांक–87 से 92 एवं कमांक–109 पर दर्शाये गये अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री सीताराम साहू द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–12 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 05 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 16–11–1997 तक ही अनुबन्ध की गयी थी। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद आरक्षण का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियॉ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-

vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि क्रमांक–39 से क्रमांक–49 तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। श्री साहू की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 के आधार पर ज्येष्ठता नियमावली, नियम–8 के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित की गयी है, जो नियम संगत है। अतः श्री साहू का पारस्परिक ज्येष्ठता के संदर्भ में दिया गया प्रत्यावेदन आधारहीन व बलहीन पाया गया है।

श्री सीताराम साहू द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में, जहां तक मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका सं0–1128/2009 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 29–11–12 के आलोक में, श्री साहू को सहायक अभियन्ता संवर्ग में, इनसे कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि से नियमानुसार नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्थिति में, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्वान्तों के अनुसार सहायक अभियन्ता संवर्ग में ज्येष्ठता का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में अलग से विचार किया जायेगा।

(24) श्री के0के0 गौड़, सहायक अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4714/9–3–12–75डब्लू/12 दिनांक 18–12–12 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियन्ताओं का मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रमोशन की तिथि दर्शायी गई है जबकि डिप्लोमा होल्डर की वास्तविक मौलिक पद अवर अभियन्ता तथा नियुक्ति भी अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के समादर में नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) **सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार** केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की

ज्येष्ठता अवर अभियन्ता के मूल पद से प्रोन्नत हुये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अवर अभियन्ता के पद को मौलिक पद मानते हुये निर्धारित की जानी चाहिए थी क्योंकि अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49, क्रमांक–87 से 92 व क्रमांक–109 तक कार्यरत सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता जो डिप्लोमा होल्डर है, को आरक्षण का लाभ लेते हुये अपने मूल पद से सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुये हैं। उनकी मौलिक नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 01.06.1978 को हुई थी जबकि उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49 तक के अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1986 या उसके बाद अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अनंतिम वरिष्ठता सूची में मौलिक पद/नियुक्ति तिथि के अनुसार उनसे कनिष्ठ अभियन्ता उनके नाम के नीचे होने चाहिए जो वरिष्ठता सूची में नहीं है। अतः डिप्लोमा होल्डर अभियन्ताओं को उनके मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने तथा उनका नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक–39 से 49, क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 पर दर्शाये गये अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री के0के0 गौड़ द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–12 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 05 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 16–11–1997 तक ही अनुमन्य की गयी थी। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद आरक्षण का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियॉ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि क्रमांक–39 से क्रमांक–49 तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार **इन्हें ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है। श्री के0के0 गौड़ को सहायक अभियन्ता के पद पर उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 से वरिष्ठता** दी गयी है, जो कि नियम संगत है। तदनुसार श्री के0के0 गौड़ का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(25) श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4714 /9–3–12–75डब्लू/12 दिनांक 18–12–12 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियन्ताओं का मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रमोशन की तिथि दर्शायी गई है जबकि डिप्लोमा होल्डर की वास्तविक मौलिक पद अवर अभियन्ता तथा नियुक्ति भी अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05. 2012 के समादर में नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12. 2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवर अभियन्ता के मूल पद से प्रोन्नत हुये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अवर अभियन्ता के पद को मौलिक पद मानते हुये निर्धारित की जानी चाहिए थी क्योंकि अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49, क्रमांक–87 से 92 व क्रमांक–109 तक कार्यरत सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता जो डिप्लोमा होल्डर है, को आरक्षण का लाभ लेते हुये अपने मूल पद से सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुये हैं। उनकी मौलिक नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 01.06.1978 को हुई थी जबकि उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 39 से 49 तक के अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1986 या उसके बाद अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अनंतिम वरिष्ठता सूची में मौलिक पद/नियुक्ति तिथि के अनुसार उनसे कनिष्ठ अभियन्ता उनके नाम के नीचे होने चाहिए जो वरिष्ठता सूची में नहीं है। अतः डिप्लोमा होल्डर अभियन्ताओं को उनके मौलिक पद एवं नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने तथा उनका नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक–39 से 49, क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 पर दर्शाये गये अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 मे उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–12 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 05 वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 16–11–1997 तक ही अनुमन्य की गयी थी। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद आरक्षण का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियॉ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि क्रमांक–39 से क्रमांक–49 तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14–02–1997 को की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक

अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14–02–1997 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमांक–87 से 92 एवं क्रमांक–109 के आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति क्रमशः दिनांक 14.08.2008 व दिनांक 08.02.2010 को प्रदान की गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में प्राविधानित ज्येष्ठता के अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार इन्हें ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है। श्री शैलेन्द्र कुमार को सहायक अभियन्ता के पद पर उनके मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.09.2012 से वरिष्ठता दी गयी है, जो कि नियम संगत है। तदनुसार श्री शैलेन्द्र कुमार का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

8. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4714/9–3–12–75डब्लू/2012 दिनांक 18.12.2012 के द्वारा परिचालित अनंतिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त 25 प्रत्यावेदनों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 09–09–1996 एवं दिनांक 17–12–2003 तथा सहायक अभियन्ता की पूर्व में निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 12–09–1996 व दिनांक 01–02–2003 को एकजाई कर उसके स्थान पर उक्त सेवा संवर्ग के कार्मिकों के मौलिक पद अर्थात सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	अभियंता का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता	संवर्ग के मौलिक पद अर्थात सहायक अभियंता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	वर्तमान		अभ्युक्ति
						पद	नियुक्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आलोक कुमार शर्मा	बुलन्दशहर	30.12.1952	बी.टेक.	14.11.1978	महाप्रबंधक (से0नि0)	18.07.2008	सेवानिवृत्त
2	बी0के0 पाण्डेय	गोरखपुर	01.11.1955	बी.ई.	31.01.1979	महाप्रबंधक	18.07.2008	
3	अनिल कुमार जायसवाल	इलाहाबाद	24.11.1951	बी.ई.	01.06.1979	महाप्रबंधक (से0नि0)	14.08.2008	सेवानिवृत्त
4	राम भरोस सिंह	गोरखपुर	02.01.1955	बी.ई.	01.09.1979	महाप्रबंधक	18.07.2008	
5	आई0डी0 पाण्डेय	गाजीपुर	01.01.1956	बी.ई.	03.09.1980	महाप्रबंधक	18.07.2008	
6	अशोक कुमार पुरी	लखीमपुर खीरी	01.07.1948	डिप्लोमा	14.07.1981	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	09.05.2003	सेवानिवृत्त
7	आलोक भौमिक	इलाहाबाद	26.08.1946	डिप्लोमा	14.07.1981	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	10.04.2006	सेवानिवृत्त

8	मंजूर अहमद	आजमगढ़	01.04.1948	डिप्लोमा	14.07.1981	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	10.04.2006	सेवानिवृत्त
9	अशोक कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	15.11.1951	ए.एम. आई.ई.	17.07.1981	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	10.04.2006	सेवानिवृत्त
10	राजीव कुमार बाजपेयी	हरदोई	30.06.1956	बी.ई.	08.02.1982	अधिशासी अभियंता	10.04.2006	
11	जवाहर राम	आजमगढ़	05.08.1958	बी.ई.	22.12.1984	महाप्रबंधक	10.04.2006	
12	श्रीमती मंजूरानी गुप्ता	अलीगढ़	30.06.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	10.04.2006	
13	अमरनाथ श्रीवास्तव	देवरिया	13.04.1960	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	12.04.2006	
14	प्रमोद कुमार	सीतापुर	09.02.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	12.04.2006	
15	रामपूजन वर्मा	फैजाबाद	12.10.1956	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	12.04.2006	
16	संजीव रामचन्द्र	बरेली	18.06.1958	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	17.07.2006	
17	मदन लाल	अम्बेडकरनगर	05.11.1958	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	31.01.2007	
18	शैलेन्द्र कुमार वर्मा	गोरखपुर	30.06.1962	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
19	प्रेमनाथ सिंह यादव	गाजीपुर	01.02.1955	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
20	विशुद्धानन्द द्विवेदी	देवरिया	30.08.1961	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
21	धीरज सिंह	इलाहाबाद	01.10.1956	एम.टेक.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
22	रक्षपाल सिंह	गोण्डा	20.12.1959	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	प्रतिनियुक्ति पर सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
23	राधेश्याम मौर्य	जौनपुर	05.03.1956	बी.ई.	22.12.1984	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
24	बलराम सिंह	प्रतापगढ़	15.06.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
25	संजय कुमार	आगरा	10.05.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
26	बृजेश कुमार सिंह	गाजीपुर	01.12.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
27	सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	बांदा	30.04.1962	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
28	अखिलेश्वर	पटना	12.03.1955	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
29	शैलेन्द्र कुमार पाठक	आजमगढ़	01.07.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
30	वी0के0 गुप्ता	बलिया	01.09.1957	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	24.07.2008	
31	राधेश्याम सक्सेना	हमीरपुर	08.08.1960	बी.ई.	01.02.1985	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
32	राजेश कुमार यादव	मैनपुरी	10.10.1962	बी.ई.	31.07.1986	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
33	कंवल कुमार शर्मा	इलाहाबाद	25.07.1949	डिप्लोमा	23.01.1987	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	14.08.2008	सेवानिवृत्त
34	सुचिन्द्र कुमार शर्मा	बुलन्दशहर	01.01.1961	बी.ई.	02.12.1991	सहायक अभियंता		
35	राधेश्याम यादव	आजमगढ़	05.03.1965	एम.ई.	02.12.1991	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
36	नीरज गौड़	देवरिया	07.08.1962	एम.ई.	02.12.1991	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	प्रतिनियुक्ति पर एनएचएआई
37	रतन लाल	खीरी	04.12.1960	बी.ई. (यांत्रिक)	24.03.1995	महाप्रबन्धक	10.04.2006	
38	बाबू लाल	वाराणसी	25.07.1953	डिप्लोमा	14.02.1997	महाप्रबन्धक	18.07.2008	
39	राम समुझ	गोरखपुर	15.03.1952	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता (से0नि0)	26.02.2010	सेवानिवृत्त
40	महेश चन्द्र	इटावा	05.02.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	09.05.2003	
41	महेश चन्द्र जरारी	आगरा	14.04.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	26.02.2010	
42	निन्नूमल चौधरी	मथुरा	01.12.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	09.05.2003	
43	जागेश्वर प्रसाद जयन्त	रामपुर	01.07.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	09.05.2003	
44	माधव राम	हरदोई	01.07.1955	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	12.04.2006	

45	सुरेश चन्द्र	आजमगढ़	01.01.1962	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	12.04.2006	
46	रमेश चन्द्र	बांदा	30.03.1963	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
47	राजेन्द्र कुमार	अल्मोड़ा	30.11.1959	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	26.02.2010	
48	हरिश्चन्द्र वाल्मिकी	बहराइच	17.07.1962	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
49	ओम प्रकाश वर्मा	झांसी	01.02.1957	डिप्लोमा	14.02.1997	सहायक अभियंता	—	
50	महराजदीन	रायबरेली	31.12.1954	डिप्लोमा	14.02.1997	अधिशासी अभियंता	14.08.2008	
51	रघुवेन्द्र कुमार	मुजफ्फरनगर	12.07.1971	बी.टेक.	12.01.1999	सहायक अभियंता	—	
52	सन्तराम अहिरवार	हमीरपुर	03.02.1964	बी.ई. सि. एम.ई.	04.07.1998	सहायक अभियंता	—	
53	मनोज कुमार आर्य	हरदोई	04.04.1972	बी.ई. इले.	04.07.1998	सहायक अभियंता	—	
54	महेश चन्द्र आजाद	फिरोजाबाद	15.01.1965	बी.टेक. सि.	15.06.1999	सहायक अभियंता	—	
55	अभय राज मिश्र	सुल्तानपुर	01.10.1948	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
56	सैय्यद अली नकी जैदी	जौनपुर	05.02.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
57	मुरारी लाल कुलश्रेष्ठ	आगरा	01.01.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
58	सुनील कुमार सक्सेना	मथुरा	16.12.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
59	शिव शंकर लाल श्रीवास्तव	गाजीपुर	01.02.1951	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
60	ज्ञानचन्द्र शर्मा	अलीगढ़	12.01.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
61	अशोक कुमार राय	बलिया	14.08.1951	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
62	रघुवीर सिंह चौधरी	लखीमपुर	01.01.1956	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
63	रामचरन कनौजिया	हरदोई	13.01.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
64	मो0 रजा आब्दी	जौनपुर	01.01.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
65	हरीश चन्द्र जायसवाल	उन्नाव	21.04.1950	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
66	राकेश चन्द्र गुप्ता	उन्नाव	01.04.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
67	वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा	फर्रूखाबाद	10.04.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
68	सतीश कुमार पाण्डेय	अल्मोड़ा	20.04.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
69	कृष्ण अवतार शुक्ला	कानपुर देहात	01.07.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
70	शिव नारायण शर्मा	इलाहाबाद	01.05.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
71	विनय कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	10.12.1954	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
72	पी0सी0 रिछारिया	झांसी	03.08.1949	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
73	शीलनिधि शुक्ला	बांदा	18.11.1953	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता	—	
74	सतीश चन्द्र शर्मा	अलीगढ़	06.04.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त
75	सुरेश शरण जौहरी	अलीगढ़	01.12.1952	डिप्लोमा	14.08.2008	सहायक अभियंता (से0नि0)	—	सेवानिवृत्त